न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 91/2023

वाद दायरी दिनांक :– 19.10.2023

1 त्रिवेनीदेवी पत्नी देवीप्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू हाल
निवासी 39 बैताल मार्ग फरीगंज उज्जेन जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) जरिये मुख्तयार विजय पुत्र
देवीप्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनूं हाल निवासी 39 बैताल मार्ग
फरीगंज उज्जेन जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)–

2 विजय पुत्र देवीप्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनूं हाल निवासी
39 बैताल मार्ग फरीगंज उज्जेन जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)

3– विमला पत्नी हनुमान प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल
निवासी बिल्डिंग नं. 5 फ्लेट नम्बर 31 दी मलाड सी एच एस लि. पोदार रोड़ मलाड पूर्व मुम्बई
400097 (महाराष्ट्र) जरिये मुख्तयार संजय पुत्र हनुमान प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील
बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी बिल्डिंग नं. 5 फ्लेट नम्बर 31 दी मलाड सी एच एस लि. पोदार
रोड़ मलाड पूर्व मुम्बई 400097 (महाराष्ट्र)

4 संजय पुत्र हनुमान प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल
निवासी बिल्डिंग नं. 5 फ्लेट नम्बर 31 दी मलाड सी एच एस लि. पोदार रोड़ मलाड पूर्व मुम्बई
400097 (महाराष्ट्र)

5 अनिल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ
जिल्ला सुहाल निवासी 4/302 तमजी ओजोन सी एच एस लि. गोरेगांव मुलुक लिक रोड गोरेगाव
पश्चिम मुम्बई 400062 (महाराष्ट्र)

6 सुशीलादेवी पत्नी जगदीश प्रसाव जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनू
हाल निवासी 12/ए/002 संगीत काम्पलेक्स जैसल पार्क भगन्दर पूर्व धाने महाराष्ट्र 401105 जरिये
मुख्तयार दिनेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला
झुझुनूं हाल निवासी 12/ए/002 संगीत काम्पलेक्स जेसल पार्क भमन्दर पूर्व थाने महाराष्ट्र 401105

7 दिनेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं
हाल निवासी 12/ए/002 संगीत काम्पलेक्स जेसल पार्क भमन्दर पूर्व थाने महाराष्ट्र 401105

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

8 – "मृतक" नारायण प्रसाद पुत्र दुर्गादत जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी 52/54 पार्वती भवन जुर्ना हनुमान गली, कालवा देवी मुम्बई 400002 (महाराष्ट्र) जरिये मुख्तयार प्रशान्त पुत्र नारायण प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी 52/54 पार्वती भवन जुर्ना हनुमान गली, कालवा देवी मुम्बई 400002 (महाराष्ट्र)

नोट– दौराने दावा दिनाकं 09.06.2024 को देहान्त हो गया।

8/1 सरोज पत्नी

8/2 धीरेन पुत्र

8/3 अमीत पुत्र

स्व. नारायण प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी 52/54 पार्वती भवन जुर्ना हनुमान गली, कालवा देवी मुम्बई 400002 जरिये मुख्तयार प्रशान्त पुत्र स्व नारायण प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी 52/54 पार्वती भवन जुर्चा हनुमान गली, कालवा देवी मुम्बई 400002 (महाराष्ट्र)

8/4 प्रशान्त पुत्र स्व. नारायण प्रसाद जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी 52/54 पार्वती भवन जुर्ना हनुमान गली, कालवा देवी मुम्बई 400002 (महाराष्ट्र)

वादीगण

बनाम

1–शंकरलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र रामबल्भ जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी 172 बल्भनगर सेठी नगर के सामने, उज्जैन जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) जरिये मुख्तयार अमित पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं हाल निवासी 172 बल्भनगर सेठी नगर के सामने, उज्जैन जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)

2–भरत पुत्र देवीप्रसाद जाति महाजन हाल निवासी 39 बेताल मार्ग फ्रीगंज माधवनगर– उज्जैन मध्यप्रदेश – 456010

3–राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं।

4 –हर आम व खास ।

5– विश्वनाथ पुत्र रामनिवास जाति महाजन निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुझुनूं ।

6 श्यामसुन्दर पुत्र राधेश्याम

7– सुभाषचन्द्र पुत्र राधेश्याम

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

Scanned with OKEN Scanner

8– हरिप्रसाद पुत्र विश्वनाथ

जाति ब्राहमण निवासी बिसाऊ तहसील बिसाऊ प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री विनोद गिल एडवाकेट

दावा बाबत धोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 07.08.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि य करबा बिसाऊ मे भूमि गत ख.न. 807 रकबा 3 बीघा 2 विश्वा गत ख.न. 939 रकबा 4 बीघा 16 विश्वा स्थित है। गत ख.न. 807 के हाल ख. न. 891 रकबा 48 हैक्टर, ख.न. 926 रकबा 16 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 64 हैक्टर बने तथा गत ख.न. 939 के हाल ख.न. 1014 रकबा 04 हैक्टर, ख.न. 1017 रकबा 1.17 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टर बने।यह कि चाय की धातवर्णित भूमि दुर्गा दुर्गात पुत्र जगनारायण की खतयारी की भूमि रही है वादीगण एवं प्रतिवाचीगण 1 व 2 दुर्गा उर्फ दुर्गादत के वारिसान है। यह कि वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में दुर्गा उर्फ दुर्गादत की खुद काश्त की भूमि के रूप में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 की जमाबन्दी में दुर्गा उर्फ दुर्गादत पुत्र जयनारायण खातेदार दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आधार के वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पूर्वज दुर्गादत का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। भूमि गत ख.न. 807 का नामान्तरकरण संख्या 324 गलत रूप से दीगर व्यक्तियों के नाम तसदीक कर दिया उक्त नाम के व्यक्ति कस्बा बिसाऊ में नहीं है तथा उसके पश्चात भूमि ख.न. 80 का राजस्व रिकार्ड विश्वनाथ पुत्र रामनिवास के नाम बन गया। विश्वनापुत्र रामनिवास नाम का व्यक्ति कस्बा बिसाऊ में नहीं है ना ही उनके कोई वारिसान करबा बिसाऊ में है।ख.न. 939 से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 323 गोर्वधन पुत्र सुरजमल के नाम गलत रूप से तसदीक कर दिया इस नाम का व्यक्ति कस्बा बिसाऊ में कोई नहीं है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि श्यामसुन्दर पुत्र राधेश्याम, सुभाष पुत्र बृजमोहन, हरिप्रसाद पुत्र विश्वनाथ के नाम राजस्व रिकार्ड है उक्त नाम के कोई व्यक्ति कस्बा बिसाऊ में नहीं है और ना ही उनके कोई वारिसान है उक्त व्यक्तियों के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया इसलिये दावा में हर आम व खास को पक्षकार बनाया गया है।वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि का खातेदार दुर्गा उर्फ दुर्गादत रहा है। संवत 2012 व 2016 की जमाबन्दी में खातेदार रहा है। उसकी सुनवाई का अवसर

दिये बिना उसकी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। नामान्तरकरण संख्या 324, 323 के कालम न. 5 में दुर्गादत पुत्र जैयनारायण का नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी 2013 से 2016 व सम्वत 2017 से 2020 व सम्वत 2033 से 2036 में भी दुर्गादत के नाम का इन्द्राज है इसलिये राजस्व कर्मचारियों द्वारा बनाये गये गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण पाबन्द नहीं है। उक्त गलत बना राजस्व रिकार्ड वादीगण अधिकारों पर प्रभावहीन है। वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वज दुर्गा उर्फ दुर्गा की खातेदारी की भूमि है दुर्गादत व उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकवादीगण व प्रतिवादी नं 1 व दुर्गाचत के वारिसान है। सम्वत 1990 की मिसल हकियत में भी उक्त भूमि का खातेदार दुर्गा पुत्र जयनारायण है राजस्व कर्मचारियों ने वाधीगण को सुनवायी का अवसर दिये बिना गलत रूप से नामान्तरकरण तसदीक कर दिये उसके आधार पर गलत राजस्व रिकार्ड बन गया। उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड से वादीगण पाबन्द नहीं है उक्त गलत बना राजस्व रिकार्ड वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है मौके पर वादीगण उक्त भूमि को काश्त करते है एंव काबिज है। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 वाद की धारा 1 में वर्णित का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है गलत बने राजस्व रिकार्ड को अपने नाम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है क्योंकि वादीगण स्व. दुर्गादत के वारिसान है। वादीगण को पूर्व में गलत तसदीक हुये नामान्तरकरण व गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं थी दिनाकं 10.06.2023 को वादीगण ने वर्तमान जमाबन्दी की नकले ली जिसमें विश्वनाथ पुत्र रामनिवास, श्यामसुन्दर पुत्र राधेश्याम, सुभाष पुत्र बृजमोहन, हरिप्रसाद पुत्र विश्वनाथ के नाम रजस्व रिकार्ड में दर्ज मिले तब दिनाकं 14.06.2023 को सम्पुर्ण राजस्व रिकार्ड की नकले ली जो दिनाकं 19.06.2023 को मिली तब वादीगण को गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तब वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। दावा ने घोषणा की सिद्धि चाही गयी है इसलिये प्रतिवादी नं. ३ को पखाकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं. ३ लोक आफिसर है जिसके विरूद्ध दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया जाता है लेकिन वादीगण का दावा अत्यावश्यक नेचर का है इसलिये दो माह का नोटिस दिये बिना दावा प्रस्तुत किया जा रहा है अ.धारा 80रू2रू जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है जिसका लाभ देकर दावा दर्ज किया जाना न्यायोचित है–

अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद डिकी इस अमर का फरमाया जावे –

क– यह कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि हाल ख.न. 891 रकबा 48 हैक्टर, ख.न. 926 रकबा 16 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 64 हैक्टर व ख.न. 1014 रकबा 04 हैक्टर, ख.न. 1017 रकबा 1.17 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टर भूमि जो वाके कस्बा बिसाऊ में स्थित है उसका वादीगण एंव प्रतिवादी नं. 1 व 2 को गलत बने राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

रिकार्ड को दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। गलत बने राजस्व रिकार्ड से वादीगण पाबन्द नहीं है। वादीगण के अधिकारों पर प्रभावहीन है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण 01 ओर से अभिभाषक उपस्थित हुआ। प्रतिवादी न0 02 लगायत 08 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

सुरेन्द्र सिंह ज्याणी पुत्र हनुमानाराम ज्यानी जाति जाट निवासी मोहल्ला, बास दक्षिण ग्राम ढीलसर तहसील बिसाऊ की ओर से आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि बादीगण द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । यह कि वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भूमि गत खसरा नं. 807 रकबा 3 बीघा 2 बिश्वा जिसके हाल खसरा नं. 891 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नं. 926 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 हैक्टर एंव गत खसरा नं. 939 रकबा 4 बीघा 16 बिश्वा जिसके हाल खसरा नं. 1014 रकबा 0.04 हैक्टर, खसर नं. 1017 रकबा 1.17 हेक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टर वाके कस्बा बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू की घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु दावा पेश किया गया है।यह कि आवेदक द्वारा मद सं. 2 में वर्णित भूमि के गत खसरा नं. 807 में से दिनांक 19.10.2023 को जरिये विक्रय इकरारनामा नरेन्द्र सिंह भाकर पुत्र सांवरमल भाकर, जाति जाट, निवासी ढ़ाणी डूंगर सिह पुरा, पोस्ट रतननगर,हसील व जिला चुरु से 564 वर्गगज भूमि सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर कय की थी। यह कि आवेदक द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात से ही आवेदक उक्त क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त है एंव उक्त क्रयशुदा भूमि में गैराज बना रखा है व कमरा एंव लेट बाथ बना रखा है एंव विद्युत कनेक्शन ले रखा है। इस प्रकार उक्त भूमि में आवेदक के हक अधिकार निहित है। आवेदक को उक्त प्रकरण में बिना सुनवाई का अवसर दिये अगर किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाता है तो आवेदक के हक अधिकारों पर विपरित असर पड़ेगा एव आवेदक उचित न्याय निर्णय से वंचित हो जायेगा। इस कारण आवेदक को उक्त प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार सयोंजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित व न्यायोचित है। आवेदक वाद पत्र में पक्षकार बनकर जवाब व साक्ष्य पेश करना चाहता है ताकि न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आ सके व आवेदक को न्याय मिल सके।यह कि वाद पत्र वर्तमान में वास्ते तामिल की स्टेज पर है तथा आवेदक को वाद पत्र में पक्षकार बनाने से कोई न्याय का उद्देश्य विफल नहीं हो रहा है बल्कि वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सकेगी तथा न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी।यह कि प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी के तहत पेश है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को भी वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाने तथा साक्ष्य जवाब व सुनवाई का अवसर दिया जाने का आदेश फरमाया जावे।

जवाब में वादी पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थन पत्र 01 व 02 के जबाब की आवश्यकता नही है। धारा 03 जिस प्रकार से लिखे गई है व सही नही है। नरेन्द्र सिंह भाकर पुत्र सांवरमल भाकर दावा व प्रार्थना में वर्णित भूमि का खातेदार नही रहा है उसको भूमि

अन्य लोगों के मकानात बने हुए है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि कृषि उपयोग के काम नही आ रही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बिसाऊ के ख.न. 1014 रकबा 04 हैक्टर, ख.न. 1017 रकबा 1.17 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टर में दर्ज खातेदारों का नाम हजफ किया जाकर सम्पूर्ण हिस्से में से वाद में प्रस्तुत दुर्गा उर्फ दुर्गादत के सजरे के अनुसार प्रतिवादी न0 01 को 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी न. 02 को संयुक्त रूप से 1/5, वादी न0 03 लगायत 05 को 1/5 हिस्से का संयुक्त रूप से, वादी संख्या 06 व 07 को 1/5 हिस्से का संयुक्त रूप से , वादी न0 08 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(मुकेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 91/23 त्रिवेणी देवी बनाम शंकरलाल वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 07.08.2025 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।वाद वादी स्वीकार किया जाकरवाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बिसाऊ के ख.न. 1014 रकबा 04 हैक्टर, ख.न. 1017 रकबा 1.17 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.21 हैक्टर में दर्ज खातेदारों का नाम हजफ किया जाकर सम्पूर्ण हिस्से में से वाद में प्रस्तुत दुर्गा उर्फ दुर्गादत के सजरे के अनुसार प्रतिवादी न0 01 को 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी न. 02 को संयुक्त रूप से 1/5, वादी न0 03 लगायत 05 को 1/5 हिस्से का संयुक्त रूप से, वादी संख्या 06 व 07 को 1/5 हिस्से का संयुक्त रूप से , वादी न0 08 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.08.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

Scanned with OKEN Scanner